12-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 42 [illegible] पर सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19-12-19 को पेश हो।
19-12-19	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक वकील लाखेरी के चुनाव होने से कार्य बार द्वारा स्थगित PO SDO. के चुनाव ड्यूटी में पधारे हैं. वास्ते आदेश पत्रावली 26-12-19 को पेश हो।
26-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 36/2016

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक : 28/06/2016

जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. विजेन्द्र कुमार आयु 53 वर्ष आत्मज श्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज0)
2. पुष्पेन्द्र कुमार आयु 49 वर्ष आत्मज श्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज0)
3. सुरेन्द्र कुमार आयु 47 वर्ष आत्मज श्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज0)
4. नरेन्द्र कुमार आयु 42 वर्ष आत्मज श्री धन्नालाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज0) जरिये मुख्तारआम अजय कुमार सरथलिया आयु 53 वर्ष आत्मज श्री गोपीलाल जाति छीपा निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. धन्नीबाई बालिग पुत्री श्री देवा एवं पत्नि श्री गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवासी प्लाट संख्या 31, ज्वालनगर, बेनाड रोड, नाडी का फाटक, जयपुर (राज0)
2. श्रीमान उपपंजीयक महोदय इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
4. श्रीमती माधुरी पत्नि श्री मुकेश बैरवा जाति बैरवा निवासी हाथीदुम्बा, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः – श्री धीरज कुमार जैन एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार रेबारी एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

निर्णय दिनांकः – 26/12/2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट मे प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता स. 327 पुरानी 335 की खसरा संख्या 297 रकबा 3.61 हैक्टर ख.स. 689 रकबा 0.35 हैक्टर खसरा स. 2483 रकबा 3.16 हैक्टर ख.स. 2487 रकबा 1.00 हैक्टर किता 4 योग रकबा 8.12 हैक्टर वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मूल खातेदार देवा आत्म बाला की स्वयं की संपत्ति थी जिसे रहन, बय, दान वसियत करने का देवाजी को पूर्ण अधिकार था। जिसने जरिये रजिस्र्ड वसियत नामा दिनांक 3.06.1974 को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति प्रार्थीगण की माता भंवरी बाई उर्फ भूरी बाई के पक्ष मे कर दी गई थी परन्तु राजस्व अधिकारियो द्वारा फौती इन्तकाल खोलते वक्त रजिस्र्ड वसियत नामा दिनांक 3.06.1974 पर ध्यान नही देते हुए अप्रार्थी स. 1 धन्नी बाई व देवाजी की पत्नी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त रजिस्र्ड वसियत नामे के आधार पर देवाजी के उपरान्त प्रार्थीगण की माता भंवरी बाई उर्फ भूरी बाई का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना था। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी स. 1 अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने का नाजायज फायदा उठते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द–बूर्द व बेचान करने पर आमादा है और अन्त मे प्रार्थना की गई कि उपरोक्त वर्णित अराजी मे अप्रार्थी स. 1 अपने नाम का फायदा उठाते हुए खुर्द–बूर्द अथवा बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वाद के निर्णय तक अप्रार्थी स. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्र्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण स. 1 धन्नी बाई की ओर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया की वाद वर्णित अराजी देवा के नाम थी। देवा की मृत्यू के बाद उक्त कृषि भूमि उसकी दो पुत्रयि भूरी बाई व धन्नी बाई तथा पत्नी मन्नी बाई के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गई थी। वाद विषयक आराजी के संबन्ध मे बेवा द्वारा कोई वसीयत नामा निषपादित नही किया गया। प्रार्थीगण ने वाद विषयक अराजी का 1/10 हिस्सा बेचान कर दिया । प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है । तथा केता माधुरी पत्नी मूकेश को भी पक्षकार नही बनाया गया इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। और अन्त मे प्रार्थना की गई की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। केता माधुरी को आर्डर–1 नियम–10 जाब्ता दिवानी के तहत अप्रार्थी स. 4 के रूप मे पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी स. 4 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नही है। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया की उपरोक्त विवादित आराजी देवाजी की स्वंय की कृषि भूमि थी। देवाजी द्वारा दिनांक 3.06.1974 को ही प्रार्थीगण की माता भवरीबाई उर्फ भूरीबाई के नाम जरिये रजिस्र्ड वसीयत कर दी गई थी। अप्रार्थी स. 1 अपने नाम की आड मे वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा है और निवेदन किया की मूल दावे के निर्णय तक वाद विषयक रहन बेचान बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थयी निषेधाज्ञा जारी की जाए। उन्होने यह भी तर्क दिया की अप्रार्थीगण को पाबंद नही किया गया तो भविष्य मे वाद बाहूलता बढ जाएगी जिसके कारण प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी अन्त मे प्रार्थना की गयी की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया की प्रार्थीगण की ओर से पेश वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है तथा प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्तया प्रमाणित नही है। अप्रार्थी स. 4 ख.न. 297 689 का हिस्सा 1/2 क्रय कर सहखातेदार बन चुकी है तथा काबिज़ काश्त है। सभी सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया। और अंत मे प्रार्थना की गई की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थीगण की ओर से रजिस्र्ड वसीयतनामा दिनांक 3.06.1974 के आधार पर वाद विषयक आराजी बाबत अधिकार घोषणा मूल दावे मे चाही गई है। जिसका निर्धारण उभयपक्ष साक्ष्य की साक्ष्य के उपरान्त ही अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व न्यायिक दृष्टांतो मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मूल दावे के निर्णय तक विवादित संपत्ति को सुरक्षित रखा जाना अति आवश्यक है यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नही किया गया तो अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वाद विषयक आराजी रहन बय कर देगे इस कारण प्रार्थी को अपार क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया साबित होना पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 297 रकबा 3.61 हैक्टर ख.स. 689 रकबा 0.35 हैक्टर खसरा स. 2483 रकबा 3.16 हैक्टर ख.स. 2487 रकबा 1.00 हैक्टर किता 4 योग रकबा 8.12 हैक्टर वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के संबन्ध मे अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिती मूल दावे के निर्णय तक बनाए रखने हेतू अस्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसन शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को खूले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)